सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 65 राँची, रविवार, 4 पौष, 1938 (श०) / 25 दिसम्बर, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

26 नवम्बर, 2016

कृपया पढ़ें:-

1. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-669/स्था०, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011, पत्रांक-74/स्था०, दिनांक 22 जनवरी, 2013 पत्रांक-413/स्था०, दिनांक 22 जून, 2016
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-1607, दिनांक 16 दिसम्बर, 2012, पत्रांक-1485, दिनांक 16 फरवरी, 2013, पत्रांक-5526, दिनांक 24 जून, 2013

संख्या-5/आरोप-1-492/2014 का.-9998-- श्री प्रमोद कुमार झा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-621/03, गृह जिला- दरभंगा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, गढ़वा-सह-निर्वाची पदाधिकारी, सम्प्रति-कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा के विरूद्ध जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-669/स्था०, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्रपत्र- 'क' में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये:-

आरोप सं०-1. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 2010 गढ़वा जिला अन्तर्गत गढ़वा प्रखण्ड के बीरबाँधा पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं०-11 हेतु आपके द्वारा त्रुटिपूर्ण मतपत्रों के मुद्रण के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार सिंह, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी-सह- सहायक निर्वाची पदाधिकारी को दोषी ठहराया है । जबकि आपको निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नियुक्त की गई थी। मतपत्रों की त्रुटि रहित मुद्रण प्रपत्र 9 के अनुसार करवाने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी आपकी थी, जिसका आपने जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह नहीं किया ।

आरोप सं०-2. गड़बड़ी की जानकारी मिलने के साथ ही आपके द्वारा जिला निर्वाची पदाधिकारी को अवगत नहीं कराया गया । अतएव श्री झा को झारखण्ड पंचायती राज नियमावली के धारा-66(5) के प्रावधानों के अन्तर्गत दोषी पाया गया है ।

आरोप प्रपत्र-'क' के साथ साक्ष्य संलग्न नहीं रहने के कारण विभागीय पत्रांक-1607, दिनांक 16 दिसम्बर, 2012 द्वारा श्री झा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)- सह-उपायुक्त, गढ़वा से साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया एवं इसके लिए स्मारित किया गया । तत्पश्चात उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-74/स्था०, दिनांक 22 जनवरी, 2013 द्वारा श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र- 'क' को साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराया गया ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-1485, दिनांक 16 फरवरी, 2013 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । श्री झा के पत्र, दिनांक 2 मार्च, 2013 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें निम्नवत् तथ्य दिये गये हैं-

आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि इनके द्वारा 22 पंचायतों के मुखिया पद एवं पंचायतों के 224 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य पद के लिए निर्वाची पदाधिकारी का कार्य सावधानीपूर्वक किया गया है । बीरबाँधा पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं०-11 के संबंध में इनका कहना है कि-

1. बहुत ही सावधानीपूर्वक इनके द्वारा प्रपत्र-09 में अभ्यर्थी का नाम पता एवं आवंटित प्रतीक चिन्ह तैयार किया गया था, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई ।

2. प्रपत्र-09 के स्वच्छ प्रति के साथ सहायक निर्वाची पदाधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार सिंह को मतपत्र छपाई हेतु सरस्वती प्रेस प्रतिनियुक्त किया गया । मौखिक एवं लिखित रूप से सहायक निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह को समझाया गया कि प्रपत्र-09 से मिलान कर ही मतपत्र का मुद्रण कराना सुनिश्चित करें ।

3. मुद्रण के पश्चात् प्रेस से मतपत्र आने के बाद भी इनके द्वारा जाँच करायी गयी और जाँच के समय पाये गये त्रुटियों के निराकरण हेतु सहायक निर्वाची पदाधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार सिंह को पुनः सरस्वती प्रेस कोलकाता प्रतिनियुक्त किया गया ।

4. पीठासीन पदाधिकारी को भी मतगणना केन्द्र पर प्रदर्शन के लिए प्रपत्र-09 के अनुरूप अभ्यर्थी का नाम एवं आवंटित प्रतीक चिन्ह दिया गया था । प्रदर्शन हेतु दिये गये नमूना एवं वास्तविक मतपत्र में भिन्नता थी, तो पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा भी सूचित नहीं किया गया और न ही पीठासीन पदाधिकारी के डायरी में अंकित किया गया ।

5. गश्तीदल दण्डाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी आदि सभी का दूरभाष संख्या दी गई थी । उनके द्वारा भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं की गई ।

6. इनके द्वारा चुनाव के दिन प्रखण्ड में एक नियंत्रण कक्ष खोला गया था, जिसमें कर्मचारी को प्रतिनियुक्त किया गया था, वहाँ भी किसी प्रकार का शिकायत नहीं किया गया ।

7. किसी भी अभ्यर्थी द्वारा मतपत्र में गड़बड़ी की शिकायत चुनाव के दिन या उसके बाद कभी भी नहीं किया गया ।

8. प्रपत्र-09 के अनुसार मतगणना कार्य में सहायता हेतु प्रपत्र-19 तैयार किया गया था। मतगणना के समय भी मतगणना पर्यवेक्षक के द्वारा भी प्रपत्र-19 में अंकित नाम एवं मतपत्र में अंकित नाम में भिन्नता को ससमय नहीं बताया गया । मतगणना के समय भी किसी भी अभ्यर्थी द्वारा मतपत्र में भिन्नता के संदर्भ में कुछ भी नहीं बताया गया ।

9. मतगणना कार्य के बाद सर्टिफिकेट के समय श्री झा के पास मतपत्र में गड़बड़ी की बात आयी और जानकारी मिलते ही आगे की कार्रवाई रोक दी गई और दिशा-निर्देश की माँग की गई ।

10. मतपत्र के छपाई में हुई गड़बड़ी के कारण सरस्वती प्रेस में प्रतिनियुक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार सिंह से श्री झा द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण भी दिया गया ।

11. श्री झा द्वारा बिरबंधा पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-11 के मतपत्र छपाई में हुई गड़बड़ी के लिए कर्मचारी को चिन्हित कर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से पूर्व में ही भेज दिया गया है ।

विभागीय पत्रांक-5526, दिनांक 24 जून, 2013 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा को श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। स्मारित किये जाने के पश्चात् उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-413/स्था०, दिनांक 22 जून, 2016 द्वारा श्री झा के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जो निम्नवत् है:-

1. R.O को ही निर्वाचन कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग से पूर्णरूपेण जिम्मेवारी दी जाती है ।

2. R.O को ही सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के प्रारंभ से अन्त तक पूर्ण रूप से अधिकृत किया जाता है ।

3. मतपत्र छपाई के समय विशेष ध्यान नहीं दिए जाने के कारण मतपत्र पर 02 नम्बर पर आशा देवी के स्थान पर पुष्पा कुमारी तथा 04 नम्बर पर पुष्पा कुमारी के स्थान पर पुष्पा कुमार छप गया है, जबकि आवंटित प्रतीक चिन्ह में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है । मतपत्र को देखने से शिकायत सही पाया गया है ।

4. राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा A.R.O की भी अधिसूचना निर्गत की जाती है, जितनी जिम्मेवारी R.O की है, उतनी ही जिम्मेवारी A.R.O की भी होती है ।

5. A.R.O के द्वारा सरस्वती प्रेस में प्रपत्र-09 का जो मिलान किया गया है, उसमें तत्परतापूर्वक एवं सही-सही मिलान नहीं किया गया, जिसके कारण नाम छपाई में गड़बड़ी हुई । इस

प्रकार श्री प्रमोद कुमार झा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गढ़वा-सह-निर्वाची पदाधिकारी के साथ सहायक निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार सिंह एवं श्री हीराकान्त झा, सहायक अभियंता भी समान रूप से दोषी है ।

6. जब मतपत्र छपाई के पश्चात पुनः लाया गया तब भी R.O श्री प्रमोद कुमार झा के द्वारा पुनः मिलान नहीं किया गया और संबंधित मतदान केन्द्र पर मतपत्र भेज दिए गए, जो उनके द्वारा कार्य में बरती गई लापरवाही को दर्शाता है । इस प्रकार श्री प्रमोद कुमार झा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गढ़वा-सह-निर्वाची पदाधिकारी, A.R.O श्री योगेन्द्र कुमार सिंह, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं श्री हीराकान्त झा, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल-2, गढ़वा के द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गई ।

श्री झा के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गढ़वा से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि श्री झा द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के रूप में यथोचित परिश्रम एवं सावधानी नहीं अपनाकर निर्वाचन कार्य में लापरवाही की गई, जिसके कारण पुनः निर्वाचन कार्य कराने में सरकारी राजस्व का ह्रास हुआ । **अतः श्री झा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iii) के तहत् 'दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक' एवं नियम-14(i) के तहत् 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 65--50